(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

No. F.9-27/2000-U.3
Government of India
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi-1,
Dated the 16th December, 2019

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-27/2000-U.3 dated 1st November, 2004, on the advice of UGC, had declared Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) as an Institution Deemed to be University under De-Novo Category under Section 3 of the UGC Act, 1956 subject to a review after three years. The functioning of the Deemed to be University was subsequently reviewed by the UGC. Further, on the advice of UGC, the Central Government, vide its Notification No.9-27/2000-U.3 dated 1st October, 2008, extended the Deemed to be University status of Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) for another period of five years i.e. from 01.11.2007 to 31.10.2012.

3. **And further whereas**, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh). The Committee, in its report, gave the **good** grade to Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."

4. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh) from 01.11.2012 onwards.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida (Uttar Pradesh).

Subba Rao.

(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to:-

1. The Secretary, University Grants Commission, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Sector-62, Noida-201307, Uttar Pradesh.
3. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
4. The Principal Secretary (Higher Education), Government of Uttar Pradesh, Bahukhandi Bhavan First Floor, Navin Bhawan , Uttar Pradesh Secretariat Hazratganj, Lucknow -226001.
5. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
7. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
8. Guard file / Notification file.

Subba Rao.

(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)
सं.एफ. 9-27/2000-यू.3

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 01,
दिनांक: 16 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 1 नवंबर 2004 की अधिसूचना सं. 9-27/2000-यू.3 के माध्यम से जे पी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी) नोएडा, (उत्तर प्रदेश) को तीन वर्षों की समीक्षा के अध्यधीन, यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत दे-नोवो श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय घोषित किया था। तत्पश्चात सम-विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा यूजीसी द्वारा की गयी थी। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर 1 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 9-27/2000-यू.3 के अनुसार जे पी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी) नोएडा, (उत्तर प्रदेश) के सम विश्वविद्यालय का दर्जा पांच वर्षों के आगे की अवधि अर्थात 01.11.2007 से 31.10.2012 के लिए बढ़ा दिया था।

3. **और जबकि,** यूजीसी ने जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी), नोएडा (उत्तर प्रदेश) के निष्पादन और शैक्षणिक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी), नोएडा (उत्तर प्रदेश) को शैक्षणिक प्रदर्शन में अच्छी रेटिंग दी थी और विश्वविद्यालय के समवत दर्जे को बनाए रखने की सिफारिश की थी। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर 16.10.2019 को आयोजित आयोग की 544वीं बैठक (मद सं. 2.12) में विचार किया गया जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए:

"आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और उन संस्थाओं जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा एवं अच्छा" रेटिंग प्रदान की गई है, का समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया है। तथापि, वे समविश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्यनिष्पादन हेतु खराब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी।"

4. **अब, इसलिए,** केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श के पश्चात जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी), नोएडा (उत्तर प्रदेश) के समविश्वविद्यालय के दर्जे का 01.011.2012 से आगे विस्तार करती है।

5. जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी), नोएडा (उत्तर प्रदेश) द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

सुब्बा राव

(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
टेलि. 011-23073687

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड़, नई दिल्ली-110002

<u>प्रतिलिपि अग्रेषितः</u>

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी), सेक्टर-62, नोएडा-201307 उत्तर प्रदेश
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070
4. प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार बहुखंडी भवन, प्रथम तल, नवीन भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, हजरतगंज, लखनऊ-226001
5. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
7. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक इसे विभाग की वेसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करें।
8. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुब्बा राव

(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
टेलि. 011-23073687